बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संख्या-5/आ०4-1014/2021- 2059 पटना, दिनांक- 27/10/26

अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पूर्णियाँ के पत्रांक-941, दिनांक-26.07.2021 द्वारा कटिहार जिला अन्तर्गत बलरामपुर प्रखंड के बलरामपुर पंचायत स्थित पाईप जलापूर्त्ति योजना के स्थल निरीक्षण के दौरान वार्ड संख्या-07 योजना से अच्छादित नहीं पाये जाने के फलस्वरूप मो० बदरूल दोजा, तत० कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार, प्रशाखा-बारसोई सम्प्रति सेवानिवृत्त कनीय अभियंता के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर अग्रेतर अनुशासनिक कार्रवाई हेतु मुख्यालय को उपलब्ध कराया गया।

02. अधीक्षण अभियंता, पूर्णियाँ अंचल से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर मो० दोजा के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-967, दिनांक-31.07.2021 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में मो० दोजा के पत्रांक-शून्य, दिनांक-21.08.2021 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

03. अग्रेतर कार्रवाई के तहत मो० दोजा से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-1347, दिनांक-22.09.2021 द्वारा अधीक्षण अभियंता, पूर्णियाँ अंचल से मंतव्य की मांग की गयी, जिसके आलोक में उनके पत्रांक-1471, दिनांक-17.12.2021 द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार से प्राप्त मंतव्य की छायाप्रति संलग्न करते हुए मो० दोजा के स्पष्टीकरण पर सहमति व्यक्त की गयी। कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार से पत्रांक-3385, दिनांक-16.12.2021 में यह प्रतिवेदित किया गया था कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार द्वारा अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या-08/R2/PWS/KTR/2019-20 के तहत कुल 16 कार्यो का निविदा प्रकाशित किया गया था, जिसके ग्रुप संख्या-05 में बलरामपुर प्रखंड के बलरामपुर ग्रामीण जलापूर्त्ति योजना के अंतर्गत वार्ड संख्या-08, 09 एवं 10 के जलापूर्त्ति से संबंधित विभिन्न कार्य शामिल था। उक्त प्रकाशित निविदा आमंत्रण सूचना में वार्ड संख्या-07 सन्निहित नहीं था। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-244, दिनांक-15.02.2022 द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार को निदेशित किया गया कि यह स्पष्ट किया जाये कि किस परिस्थिति मे निविदा आमंत्रण सूचना में वार्ड संख्या-07 सन्निहित नहीं था ?

04. विभागीय निदेश के आलोक में कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार के पत्रांक-1676, दिनांक-20.05.2025 द्वारा यह सूचित किया गया कि निविदा आमंत्रण सूचना में वार्ड संख्या-07 को भूलवश सन्निहित नहीं किया गया था। बाद में मो० दोजा द्वारा वार्ड संख्या-07 का सर्वेक्षण कर Site Order Book में सम्मिलित किया गया एवं उक्त छूटे हुए वार्ड संख्या-07 में Deviation/Variation के माध्यम से कार्य कराया जा चुका है।

Order/Tinku ji

05. विभाग द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल-कटिहार से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत पुनः विभागीय पत्रांक-1300, दिनांक-19.06.2025 द्वारा उनसे दो बिन्दुओं यथा (i) क्या मूल योजना से आच्छादन संभव नहीं था ? (ii) Deviation/Variation से आच्छादन की आवश्यकता क्यों पड़ी ? पर मंतव्य सहित प्रतिवेदन की मांग की गयी, जिसके आलोक में कार्यपालक अभियंता, कटिहार के पत्रांक-3266, दिनांक-05.08.2026 द्वारा यह सूचित किया गया कि मो० दोजा द्वारा वार्ड संख्या-07 का सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रमंडल को उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण निविदा आमंत्रण सूचना में वार्ड संख्या-07 को सन्निहित नहीं किया जा सका, जबकि मूल योजना से उक्त वार्ड में पाईप लाईन विस्तारीकरण एवं गृह जल संयोजन का कार्य कराया जा सकता था।

06. उपर्युक्त वर्णित कंडिकाओ में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि मो० दोजा द्वारा अपने कर्त्तव्य के निर्वहण में लापरवाही बरती गयी। फलतः उनका स्पष्टीकरण अस्वीकार योग्य पाये जाने के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली-43(बी) के तहत मो० दोजा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया है। एतदर्थ उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री रामचन्द्र पाण्डेय, मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

07. आरोपित मो० दोजा आदेश की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर जाँच संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप पत्र में लिखित आरोप के संबंध में अपना लिखित बचाव-बयान समर्पित करेंगे।

08. जाँच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियमावली, 2005 के नियम-17(2)में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति अनुलग्नक सहित मो० दोजा, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता/जाँच संचालन पदाधिकारी श्री रामचन्द्र पाण्डेय, मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार को दी जाय।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)

Order/Tinku ji

संख्या-5/आ०4-1014/2021- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-आरोप पत्र की प्रति के साथ जाँच संचालन पदाधिकारी श्री रामचन्द्र पाण्डेय, मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार तथा मो० बदरूल दोजा, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता, पता-ग्राम-कंधवालिया, पोस्ट-बगही, जिला-पश्चिमी चम्पारण(बेतिया), पिन-845103 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)

ज्ञापांक-5/आ०4-1014/2021- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)

संख्या-5/आ०4-1014/2021- 2059 पटना, दिनांक- 27/10/26

प्रतिलिपि:-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, कटिहार/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)

23.10.26